



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2443]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2017/भाद्र 3, 1939

No. 2443]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2017/BHADRA 3, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2017

**का.आ. 2786(अ).**—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1395 (अ), तारीख 28 मई, 2014 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 के 11,000 कि.मी. से 176.040 कि.मी. (जोधपुर – पोखरन सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950 (अ) तारीख 3.12.2010, सा.का.नि. 15(अ) तारीख 12.01.2011 और सा.का.नि. 756(अ) तारीख 12.10.2011, सा.का.नि. 778(अ) तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ) तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ) तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 2(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 2014 सा.का.नि. 220(अ) तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ) तारीख 08 जून, 2016, सा.का.नि. 1114(अ) तारीख 02 दिसम्बर 2016 और सा.का.नि. 248(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा संशोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 के जोधपुर-पोखरन सेक्शन के 11,000 किमी से 175.433 किमी (डिजाइन चैनेज) तक पेड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लम्बाई 139.830 कि.मी. के लिए सारिणी 1 में स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) के 60% की दर पर और चार लेन के खंड की 13.330 कि.मी. लम्बाई के लिए नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% की दर पर तथा 11.273 कि.मी. की लम्बाई वाले बाइपासों के लिए नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों के 90% की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

## सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भं.सं.म.) या अर्ध मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा-114 के जोधपुर जिले में जसनाथनगर गाँव के पास, 33.189 किमी पर, डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 33.712 किमी पर )	63.970	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	10.530	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
रारा-114 के जोधपुर जिले में मोतीसर/खनोरी गाँव के पास, 98.809 किमी पर, डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 101.044 किमी पर)	75.860	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	2.800	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की निवल लंबाई हेतु शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
		लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
रारा-114 के जैसलमेर जिले में मोरानी/पोखरन रूरल गाँव के पास, 165.401 किमी पर, डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 165.400 किमी पर)	रारा- 114 के पोखरन बाइपास के 164.160 किमी डिजाइन चैनेज पर, (विद्यमान चैनेज 169.000) से शुरू होकर और 175.433 किमी डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 176.000) पर मिलते हुए	11.273	51.260	आधार दरों का 90% (अर्थात् ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60% का 1.5 गुना)

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2017-18 के लिए मासिक पास की दर 245.00/- रुपए (दो सौ पैंतालीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए ।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारिणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों के लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्डों की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा ।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 401.96 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जाएगी । प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/660/सीओ/16-17/जीसी-जोधपुर-पोखरन सेक्शन]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2017

**S.O. 2786(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1395(E) dated 28<sup>th</sup> May, 2014 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 11.000 to km 176.040 (Jodhpur- Pokaran Section) of National Highway No. 114 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, and amended vide GSR 950 (E) Dt 03.12.2010, GSR 15 (E) Dt. 12.01.2011 and GSR 756 (E) Dt. 12.10.2011, G.S.R 778 (E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 2(E) dated 29th December, 2014, G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015, G.S.R 585(E) dated 08th June, 2016, G.S.R 1114(E) dated 2nd December, 2016 and G.S.R 248 (E) dated 14<sup>th</sup> March, 2017 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 139.830 km (hereinafter referred to as “base rate”) for use of the Two Lane with paved shoulders section and at 100% of the base rate specified in column (2) in Table 1 on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below for 13.330 km length of four lane section and bypasses having a length of 11.273 Km. at 90% of the base rates specified in column (2) of Table-1 below for the use of Jodhpur-Pokaran section from km 11.000 to km 175.433 (design chainages) of National Highway number 114 in the State of Rajasthan and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza(s) for net road length specified for such Fee Plaza(s):

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 33.189, design chainage (at km. 33.712 existing chainage) near village Jasnathnagar in Jodhpur district of NH-114	63.970	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	10.530	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 98.809, design chainage (at km. 101.044 existing chainage) near village Motisar/Khanori in Jodhpur district of NH-114	75.860	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	2.800	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Fee Plaza (s):

Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km 165.401, design chainage (at km 165.400 existing chainage) near village Morani/Pokaran Rural in Jaisalmer district of NH-114	Pokaran Bypass taking off at design chainage km 164.160 (Existing Chainage km 169.000) and merging at design chainage km 175.433 (Existing Chainage km 176.000) of NH-114.	11.273	51.260	90% of the base rates (i.e. 1.5 times of 60% of the base rates) mentioned in Table-1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 245.00 (Rupees Two

Hundred Forty Five only) for the year 2017-18 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 401.96 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/660/CO/16-17/GC-Jodhpur-Pokaran Section]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.